



सत्यमेव जयते

संख्या— / जी०एस०(शिक्षा) / A4-144 / 2014

प्रेषक,

डा० रंजीत कुमार सिन्हा
सचिव श्री राज्यपाल/कुलाधिपति।

सेवा में,

कुलपति,
वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,
सुद्धोवाला, देहरादून।

राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय उत्तराखण्ड :

देहरादून : दिनांक : 14 अक्टूबर, 2021

महोदय,

कृपया विश्वविद्यालय के पत्र संख्या-526 व 527, दिनांक 25.06.2021 का सन्दर्भ ग्रहण करना चाहें।

2. यू०जी०सी० विनियम के अनुसार वर्ष-दर-वर्ष के आधार पर सम्बद्धता निर्गत किये जाने संबंधी निर्णय के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नियामक संस्थान, निरीक्षण मण्डल, कुलपति व कुलसचिव, वी०मा०सि०म० उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की संस्तुति के दृष्टिगत विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005 (यथा अद्यतन संशोधित) की धारा-24(2) के अधीन निम्न संस्थान को उसके सम्मुख वर्णित पाठ्यक्रम, सीटों एवं अवधि की अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण हेतु मा० कुलाधिपति द्वारा कार्यान्वयन अनुमोदन निम्नवत् उपबन्धों के साथ प्रदान किया गया है :-

संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	सीट संख्या	शैक्षिक सत्र
1	2	3	4
बलवंत सिंह मुखिया (बी०एस०एम०) कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, ग्राम-नगला इमरती, रुड़की-लक्सर रोड़, रुड़की।	बी०टैक०:- 1. Civil Engg. 2. Computer Science & Engg. 3. Electrical Engg. 4. Mechanical Engg.	60 30 60 60	2020-21

विश्वविद्यालय, नियामक संस्था/यू०जी०सी०/वि०वि० के सभी मानकों के पूर्ण होने की दशा में ही कार्यपरिषद के अनुमोदन से विहित शर्तों/उपबन्धों अधीन तथा वि०वि० का नाम परिवर्तन संबंधी शासन की अधिसूचना दिनांक 28.10.2020 को संज्ञान में रखते हुए अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण के आदेश निर्गत करे व तदनुसृत कृत कार्रवाई से इस सचिवालय को अवगत कराये।

3. अतएव अग्रेत्तर सत्रों के प्रस्ताव यथा समय सारिणी प्राप्त होने पर विचार किया जायेगा। तदनुसार अग्रेत्तर कार्रवाई सुनिश्चित की जाये।

भवदीय,

(डा० रंजीत कुमार सिन्हा)
सचिव श्री राज्यपाल/कुलाधिपति।

संख्या— 2086 (1) / जी०एस०(शिक्षा) / A4-144 / 2014 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :-

1. अपर मुख्य सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. प्राचार्य/प्रबन्धक, सम्बन्धित संस्थान/कॉलेज।
3. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,

(एन०के० पोखरियाल)

(एन०के० पोखरियाल)
उप सचिव श्री राज्यपाल/कुलाधिपति।